


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 245]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 24, 1971/पासा 3, 1893

No 245]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 24, 1971/PAUSA 3, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th December 1971

G.S.R. 1962.- In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1967, namely:—

1. These rules may be called the Passports (Fifth Amendment) Rules, 1971.
2. In the Passports Rules, 1967,—
 - (i) in rule 2, in sub-clause (b), for items (ii) and (iii), the following items shall be substituted, namely:—

“(ii) making additional endorsement on a passport or travel document in respect of foreign countries;
 - (iii) issue of a duplicate passport or travel document in lieu of a passport or travel document which has been lost, stolen, damaged, destroyed or otherwise rendered useless;
 - (iii a) adding a supplementary passport or travel document booklet, when all the pages in an existing passport or travel document have been almost used up;”;
 - (ii) in rule 3, in sub-rule (2), in the proviso, for the words “six months”, the words “twelve months” shall be substituted;

(iii) to rule 5, the following proviso shall be added, namely:—

“Provided that a passport authority may require the applicant to furnish such additional information, documents or certificates, or both, as the Central Government may consider necessary.”;

(iv) in rule 6—

(1) in the proviso—

(a) for item (v), the following item shall be substituted, namely.—

“(v) proceeds abroad on an employment voucher or offer of employment.”;

(b) after item (viii), the following item shall be inserted, namely:—

“(ix) proceeds to a foreign country to join father, mother, husband, wife, brother, sister, son or daughter and produces a sponsorship declaration by the applicant's relation signed before an authorised officer of the local Government or Notary Public and attested by the Consular Officer in the Indian Mission or Post in that country or signed before the Consular Officer.”;

(2) after the proviso, as so amended, the following further proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that no financial guarantee shall be necessary in respect of an applicant abroad, if he—

(i) satisfies the passport authority that he has sufficient means to maintain himself abroad; or

(ii) was exempted from producing financial guarantee at the time the original passport was issued to him.”;

(v) after rule 8, the following rule shall be inserted, namely:—

“8A. *Refund of fees.*—Fees shall be refunded if applied for within one year from the date of payment thereof in the following cases:—

(i) if after paying the fee, a person does not submit the application for issue of passport or travel document or for any service on a passport or travel document already held by him;

(ii) if the fee paid is in excess of the prescribed fee; and

(iii) if the fee is paid for a service for which no fee has been prescribed.”;

(vi) after rule 15, the following rule shall be inserted, namely:—

“16. *Inspection of passport or travel document.*—The authorities for the purposes of clause (c) of sub-section (1) of section 12 shall be—

(i) the passport authority,

(ii) the Officer of Customs or police not below the rank of sub-inspector empowered by a general or special order of the Central Government.”.

[No. VI/401/53/71.]

P. N. MENON, Secy.

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 1971

अधिसूचना

जी० एस० आर० 1962.—पासपोर्ट अधिनियम 1967 (1967 का 15 की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पासपोर्ट नियम 1967 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है यथा:—

1. इन नियमों को पासपोर्ट (पाँचवां संशोधन) नियम 1971 कहा जाएगा ।

2. पासपोर्ट नियम 1967 में:—

(1) उपबन्ध (ख) के नियम 2 में मद संख्या (2) और (3) के स्थान निम्नलिखित भर्ते लिख दी जाएगी यथा:—

(2) पासपोर्ट या यात्रा प्रलेख पर विदेशों के लिए अतिरिक्त पृष्ठांकन करना ;

(3) पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख खो जाने चोरी चले जाने क्षतिग्रस्त नष्ट अथवा अन्य प्रकार से बेकार हो जाने पर उसकी जगह दूसरा पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख जारी करना ;

(3-क) विद्यमान पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख के लगभग सभी पृष्ठ भरे जाने पर पूरक पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख पुस्तिका जोड़ना ;

(2) नियम 3 उपनियम (2) के उपबन्ध में छ: महीने के स्थान पर "बारह महीने" लिखा जाएगा ;

(3) नियम 5 में निम्नलिखित उपाबन्ध जोड़ दिया जाएगा यथा:—

"लेकिन पासपोर्ट अधिकारी प्राप्ती से ऐसी अतिरिक्त सूचना प्रलेख अथवा प्रमाण प्रमाण-पत्र या दोनों मांग सकता है जिस केन्द्र सरकार आवश्यक समझे ।"

(4) नियम 6 में:—

(1) उपाबन्ध में:—

(क) मद (5) के स्थान पर निम्नलिखित मद लिख दी जाएगी यथा:—

(5) किसी रोजगार बाउचर अथवा रोजगार पेशकश पर विदेश जाता है ;

मद (8) के पश्चात् निम्नलिखित मद जोड़ दी जाएगी यथा:—

“(9) पिता माता पति पत्नी भाई बहिन पुत्र अथवा पुत्रो के माय रहने के लिए विदेश जाता है और स्थानीय सरकार के हिना अधिकारी अधिकारी अथवा नोटरी पब्लिक के समुदाय प्रथी के सम्बन्ध द्वारा हस्ताक्षरित और उस देश में भारतीय मिशन अथवा केन्द्र के कौन्सो अधिकारी द्वारा पृष्ठांकित अथवा कौंसो अधिकारी के सम्मुख हस्ताक्षरित प्रायोजी-घोषणा प्रस्तुत करता है ;

(2) इस प्रकार संशोधन उपाबन्ध के जर्शवात्: निम्नलिखित उपाबन्ध और जोड़ दिया जाएगा:—

“लेकिन विदेश स्थित किसी प्राथी के सम्बन्ध में वित्तिय गारंटो को आवश्यकता नहीं होगी यदि वह:—

- (1) पासपोर्ट प्रधिकारी को इस आशय का विश्वास दिला देता है कि विदेश में अपने अनुरक्षण के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हैं ; अथवा
- (2) जिस समय मूल पासपोर्ट जारी किया गया था उस समय उसे वित्तीय गारंटी देने से छूट दे दी गई थी ।

(:) इस प्रकार संशोधन उपाबन्ध के पश्चात् निम्नलिखित उपाबन्ध और जोड़ दिया जाएगा :—

“लेकिन विदेश स्थित किसी प्राथी को आवश्यकता नहीं होगी यदि वह:—

- (1) पासपोर्ट प्रधिकारी को इस आशय का विश्वास दिला देता है कि विदेश में अपने अनुरक्षण के लिए उसके पास पर्याप्त साधन हैं; अथवा
- (2) जिस समय मूल पासपोर्ट जारी किया गया था उस समय उसे वित्तीय गारंटी देने से छूट दे दी गई थी ।

(5) नियम 8 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाएगा यथा:—

“8—क शुल्क की वापसी:—अदायगी की तारीख से यदि एक वर्ष के अन्दर प्राथीना की गई तो निम्नलिखित परिस्थितियों में शुल्क वापस कर दिया जाएगा—

- (1) शुल्क अदा करने के बाद यदि कोई व्यक्ति पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख जारी करने के लिए अथवा उसके पास पहले से ही विद्यमान पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख के संबंध में किसी सेवा के लिए कोई आवेदन-पत्र नहीं देता है ;
- (2) यदि अदा किया गया शुल्क निर्धारित शुल्क से अधिक हो ; और
- (3) यदि किसी ऐसी सेवा के लिए शुल्क अदा किया गया हो जिसके लिए कोई शुल्क न हो ;
- (6) नियम 15 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़ दिया जाएगा यथा:—
- “16 पासपोर्ट अथवा यात्रा प्रलेख का निरीक्षण.—धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के प्रयोजनों के लिए जो अधिकारी होंगे वे हैं:—
- (1) पासपोर्ट अधिकारी
- (2) केन्द्र सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा अधिकृत सीमा-शुल्क अथवा पुलिस अधिकारी जो दारोगा से कम स्तर का न हो ।

[सं० छह/401/53/71]

पी० एन० मेनन, सचिव ।

